फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

प्रेमकुमार मीणा बनाम तहसीलदार

प्रार्थना पत्र संख्या : 331/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	21.10.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। वकील उभय पक्षों की मजीद बहस सुनी गई। वकील वादी/प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दूओं को दौहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त खसरा नम्बर 367/4 की भूमि के बजाय खसरा नम्बर 367/2 रकबा 3 बीघा खेल मैदान के रूप में दुरूस्त किया जावें तथा खसरा नम्बर 367/1 को गैर मुमकिन सडक के बजाय गैर मुमकिन आबादी के रूप में दर्ज किया जावें तथा खसरा नम्बर 367/2 को गैर मुमकिन आबादी से दुरूस्त कर खेल मैदान के रूप में दर्ज किया जावें तथा खसरा नम्बर 367/3 खेल मैदान को विलोपित किया जावें। उसे गैर मुमकिन सडक के रूप में दर्ज किया जावें। पत्रावली में उपलब्ध वादी/प्रार्थी के वाद पत्र, तहसीलदार रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एवं वकील उभय पक्षों की बहस का मनन करने पर पाया कि प्रस्तुत वाद संबंधित खातेदार द्वारा ही पेश किया जाना न्यायोचित है। चुकि उक्त वाद पत्र किसी अन्य के द्वारा पेश किया गया है। जो विधि विरूद्व है। अतः वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद/प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट पोषणीय नही होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। निर्णय आज सरे इजलास सुना गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ	